

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदन क्रमांक RPR00014591 आवेदन दिनांक 25 Oct 2024

भवन का विवरण

भवन का प्रकार : Educational Buildings / शैक्षणिक परिसर (स्कूल, सीनियर सेकंडरी स्कूल अन्य ट्रेनिंग संस्थान)--Having height 9mtr & above but not exceeding 15mtr

परिसर का नाम SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY

व्यवसाय का प्रकार : SCHOOL

भवन का पता : INDRAPRASTHA PHASE 2, RDA COLONY, RAIPURA, RAIPUR CHHATTISHGARH

आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम : VINOD KUMAR PANDEY

पिता/पति का नाम : LT KUNJMANI PRASAD PANDEY

मोबाइल नंबर : 9584070707

ईमेल आईडी : seindrprastha25@gmail.com

आवेदक का पता : INDRAPRASTHA PHASE 2, RDA COLONY, RAIPURA, RAIPUR CHHATTISHGARH

संलग्न दस्तावेज़

भवन निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र

भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रमाण पत्र

घोषणा

मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूरी तरह सत्य है, यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाये जाने की स्थिति में अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

आवेदन दिनांक 25 Oct 2024

स्थान रायपुर

आवेदक का नाम VINOD KUMAR PANDEY

मोबाइल नं° 9584070707

ईमेल आईडी seindrprastha25@gmail.com

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 1083-A-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2023/ रायपुर

दिनांक : 30/10/2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्री VINOD KUMAR PANDEY के परिसर INDRAPRASTHA PHASE 2, RDA COLONY, RAIPURA, RAIPUR CHHATTISHGARH में स्थित SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र", पत्र क्रमांक- 1083-A दिनांक 16/12/2021 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री पुष्पराज सिंह द्वारा श्री विनोद कुमार पांडेय की उपस्थिति में दिनांक 19/10/2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SHIVAM EDUCATIONAL ACADEMY में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः VINOD KUMAR PANDEY की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर वाटर रिसोर्स बढ़ाने की शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फ़ायर एन ओ सी) दिया जाता है। यदि निरीक्षण टीम के इन निर्देशों का पालन पत्र जारी दिनांक के तीन माह के अंदर नहीं किया गया तो प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।



जारी दिनांक : 30/10/2023


निदेशक
ट्रेनिंग और आपदा
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर